


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

ईस्लाम Vs हसन रंका

उक्त याद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण  
क्रमांक 14-12-2017 को किया जा चुका है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा(खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

निर्माता :  
नवकार उपक्रम, अलवर  
Court

अनुवान

इस्लाम

बनाम हरमरा

वाद

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुये

21/7 पडा 0 इकजाई पेमी निफरिवा से पेश हुई | सामंकायतक  
बादी पक्ष अनुपालन रहा। जामी अफिदो दर 0 अफदेश  
। निमम-10 ने उभातेप किमा कि दौ 0 का जवाब  
दि 20.12.10 से बादी ने पेश नही किमा है। बादी की  
उदासीनता में मद्द वाद खारिज करे का तर्क किमा  
है। बादी पक्ष को अदम. हाजरी पैरवी व अदम  
अनुपालन में मद्द वाद खारिज कर निर्णित किमा  
जाता है। तकमील कर जमा लेख मठार करके सुनामा  
वामा।

